आज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मनीष .... बनाम .... पवन कुमार

किस्म मुकदमा .... 212 RTA .... न0 .... सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2024	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्यक नोटिस से की जावे। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया । प्रार्थना पत्र , शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख.न. 1305/1112/0.3200 हैक्टेयर बाके ग्राम बांसी तहसील रूपबास में प्रार्थी के उपयोग उपभोग करने से नही रोके किसी दीगर सख्स को रहन वय मुन्तिकल नही करे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। इस आशय की तहरीर जारी हो। आदेश 39 नियम 3 (क)(i)(ii)(iii) एवं 3 b सी.पी.सी की पालना दिनांक 06.11.2024 तक नही किये जाने पर आगामी तारीख पेशी 06.11.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी जावेगी। पत्रावली दिनांक 06.11.2024 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी रूपबास (भरतपुर)	
6.11.24	पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी उप० आगे अप्रार्थी की तलबी हेतु Reg तलबाना पेश हो पत्रावली दि० 16.12.24 को पेश हो	
28/11/24	पत्रावली आज पेश हुई (प्रार्थी के तलवी प्रार्थना पत्र पर पेश हुई) उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद, वादी ने विड्रो करा लिया है अत: मूल के विड्रो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
	होने के कारण प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है। ऐसी स्थिति में वादी (प्रार्थी) का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रूपबास

vivo V30 | AURA LIGHT
Tariq Anwar